# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

**पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस**

मुकदमा नं0 15/2024

1. राजेन्द्र गोरा पुत्र हनुमानसहाय गोरा जाति जाट निवासी महेशवास खुर्द रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर।
2. हनुमान पुत्र सुरजमल जाति ब्राहमण निवासी तेजाजी चौक, बोबास तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2799 आदेश दिनांक 29/02/2024ग्राम पंचायत बोबास तहसील जोबनेर

1. श्री इलियास बाबू रंगरेज वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 16/05/2024

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 290, 364, 365 एवं 372 किता 4 कुल रकबा 4.0842 हे0 वाके ग्राम बोबास पटवार मण्डल बोबास तहसील जोबनेर में स्थित है। जो सम्पूर्ण आराजी हनुमान पुत्र सूरजमल ब्राह्मण निवासी बोबास की कब्जे काशत व खातेदारी की आराजी थी। उक्त आराजीयात मे से खातेदार हनुमान ने खसरा संख्या 372 रकबा 2.6428 हे0 वाके ग्राम बोबास का 170/209 वां हिस्सा अपीलांट को दिनांक 03.01.2024 को बेचान कर दी, और विक्रय विलेख उपपंजियक जोबनेर के यहां पंजीयन करा दिया। विक्रय अनुसार बेचे गये हिस्से पर कब्जा अपीलांट का करा दिया गया। उक्त दस्तावेज बेचान पत्र क्रमांक 202403564100016 दिनांक 03.01.2024 के आधार पर नामा0 प्रविष्टी संख्या 2799 दिनांक 25.01.2024 को हनुमान पुत्र सुरजमल हिस्सा 39/209, राजेन्द्र गोरा पुत्र हनुमान सहाय गोरा हिस्सा 170/209 भरा जाकर बाद जांच ग्राम पंचायत बोबास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां पेश किया गया। जिसमे ग्राम पंचायत ने राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट मिटिंग में

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

स्वीकृत करते हुये पंचायत सदस्यो की रिपोर्ट अप्राप्त होने से नामा0 दिनांक 29.02.2024 को निरस्त कर दिया। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 का आदेश विधि विपरीत है। जो काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर खारिज नामान्तरण संख्या 2799 दिनांक 29/02/2024 को निरस्त किये जाने एवं बेचान पत्र अनुसार नामा0 अपीलांट के नाम तसदीक किये जाने की की आज्ञा पारित की जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अपीलान्ट संख्या 02 मय अधिवक्ता उपस्थित आए।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 02 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 2799 आदेश दिनांक 29/02/2024 को खारिज किया गया, को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्टस ने आराजीयात खसरा नंबरान 290, 364, 365 एवं 372 किता 4 कुल रकबा 4.0842 है0 वाकै ग्राम बोबास पटवार हल्का बोबोस तह0 जोबनेर में से खसरा संख्या 372 रकबा 2.6428 है0 वाके ग्राम बोबास का 170/209 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को तय शुदा प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय किया है एवं विक्रेता ने विक्रय किये गये भौतिक भाग का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया है तथा शेष हिस्सा 39/209 पर खातेदार हनुमान काबिज काश्त चले आ राह है। बेचान पत्र तय शुदा प्रतिफल अदा होने पर उपपंजियक ने निष्पादित कर पंजियन किया है एवं राजस्व अधिकारी की जाचं रिपोर्ट ग्राम पंचायत बोबास द्वारा स्वीकार की गयी है एवं बिना किसी अधिकार के विक्रय पत्र के नामांतरण को पूर्व में घटित कमेठी की रिपोर्ट अप्राप्त होने से खारिज करने का आदेश दिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 2799 आदेश दिनांक 29/02/2024 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2799 आदेश दिनांक 29/02/2024 सरपंच ग्राम बोबास तहसील जोबनेर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देश दिये जाते है कि वो पुनः रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र की जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोबनेर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)